अ ध्या य २

हिंदी अध्यापन विधि का पाठ्यक्रम

२.१ प्रास्ताविक.

२.२ पाठ्यक्रम की संकल्पना : अर्थ

२.३ शिवाजी विद्यापीठ में परिचालित बी.एड. पाठ्यक्रम.

२.४ हिंदी अध्यापन विधि का बी.एड्. के पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्थान.

२.४.१ बी.एड्. के अन्य विषयों की तुलना में हिंदी अध्यापन विधि का स्थान.

२.५ हिंदी अध्यापन विधि के सैद्धांतिक पाठ्यक्रम का विवेचन.

२.५.१ हिंदी अध्यापन पद्धति के पाठ्यक्रम के उद्देश्य.

२.५.२ हिंदी अध्यापन पद्धति के पाठ्य-घटकों का विश्लेषणात्मक विवेचन.

२.५.३ प्रात्यक्षिक कार्य का विश्लेषण

२.५.३.अ सुक्ष्माध्यापन प्रत्यक्ष कार्य.

२.५.३.ब आशययुक्त अध्यापन कार्यशाळा.

२.५.३.क मूल्यभावनाधारित विशेष प्रशिक्षणाकार्यक्रम.

२.५.३.ड सराव पाठ प्रशिक्षण व शालेय अनुभव कार्यक्रम.

२.६ पाठ्यक्रम का मूल्यांकन

२.७ समारोप.

२.१ प्रस्तावना :-

पहले प्रकरण में अनुसंधान समस्या उसका महत्व, मर्यादाएँ, अनुसंधान की पद्धति, न्यादर्श आदि का विवेचन किया है। प्रस्तुत अनुसंधान कार्य का विषय " अध्यापक महाविद्यालयों में सीखायेजानेवाली हिंदी अध्यापन विधि के पाठ्यक्रम तथा कार्यनीति का चिकित्सात्मक अध्ययन " होने से प्रचलित हिंदी अध्यापन विधि के पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक है।

प्रस्तुत प्रकरण में इसीलिए हिंदी अध्यापन विधि के पाठ्यक्रम का सैद्धांतिक भाग एवं प्रत्यक्ष कार्य की रचना किन उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए हुअी है, पाठ्यक्रम के घटकों का अध्यापन तथा प्रत्यक्ष कार्य की कार्यशालाओं का आयोजन की कार्य नीति कैसे होती है, जिसतरह बी.एड्. के पाठ्यक्रम पुस्तिका में उनके आयोजना के लिए मार्गदर्शन दिया है, उसी तरह से होती है या नही, इसका विवेचन किया गया है। साथ ही हिंदी का सफल भाषाध्यापक बनने के लिए यह पाठ्यक्रम उपयुक्त है या नहीं यह देखने के लिए विविधांगी विवेचन होना आवश्यक है इसीलिए प्रस्तुत प्रकरण में इसका विवेचन निम्नांकित परिच्छेदों मे किया है।

२.२ पाठ्यक्रम की संकल्पना : अर्थ :-

शिक्षा के क्षेत्र में नियोजित अभ्यासक्रम की रचना स्वातंत्र्यपूर्व ब्रिटीश-काल में शुरु हुई है। स्वातंत्र्योत्तर काल में विविध समितियों द्वारा इसमें परिवर्तन तत्कालिन शासन के धोरण के अनुसार किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के योजना को कार्यान्वित करने से पहले पाठ्यक्रम की आयोजना जरूरी होती है।

पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति लॅटीन शब्द "currere" से हुआ है। जिसका अर्थ है, भागना या परिचालन करना जो " रन - अवे " की ओर निर्देश करता है। साथ ही " एक ऐसा अध्ययन--कार्यक्रम जो उद्देश्यों तक पहुँचता है, या उद्देश्यों को संपन्न करता हो यह की अर्थ लिया गया है।

" सेकंडरी एज्युकेशन् कमिशन " के अहवाल में लिखा है कि - " पाठशाला में पारंपारिक शैक्षणिक विषयों को पढाना ही पाठ्यक्रम नही बल्की उसमें वे कुल अनुभव भी समावेशित हो जिसे छात्र विविध कृती द्वारा प्राप्त करे, जिन्हें पाठशालामें आयोजित करते है, जैसे - लायब्ररी, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान में कृति द्वारा आयोजित अनुभव हो, इससे छात्र - शिक्षके के अनेकों अनौधचारिक संबंध स्थापित होते हो। इस संदर्भ में देखा जाये तो संपूर्ण शालेय जीवन ही एक पाठ्यक्रम बनेगा, जिससे छात्रों का व्यक्तित्व संतुलित स्वरुप विकसित होने में सब पहलुओं को छूनेवाला यह पाठ्यक्रम होगा।"

क्रौ ब क्रौ के शब्दों में - " पाठ्यक्रम में अध्ययन कर्ता के लिए शाला-बाह्य वे सभी अनुभव आते है, जो अब अध्ययनकर्ता को मानसिक, शारीरिक भावनिक, आत्मिक एवं नैतिक विकास के लिए उपचारात्मक मदद करनेवाले कार्यक्रमों को समावेशित करते है।"

संक्षेप में कह सकते है की, पाठ्यक्रम वह संपूर्ण परिस्थिति है [या सब परिस्थितियाँ] जिन्हे शिक्षा संस्थान द्वारा चुना जाता है, उसका व्यवस्थापन किया जाता है, एवं शिक्षकों द्वारा उसपर कार्यनीति का परि - चालन कर शिक्षा के अंतिम ध्येय को वास्तव रुप में संक्रमित किया जाता है।

२.३ शिवाजी विद्यापीठ में परिचालित बी.एड. पाठ्यक्रम :-

शिक्षा प्रक्रिया में निर्धारित स्नातक तथा स्नातकोत्तर शाखाओं के लिए पाठ्यक्रम का आयोजन विशेष उद्देश्यों को सामने रखकर किया जाता है।

उद्देश्यों की परिपूर्ति करनेवाला एवं अपेक्षाकृत परिणाम दिखानेवाला पाठ्यक्रम सुयोग्य, परिपूर्ण एवं परिणामकारक कहलाता है।

शिवाजी विश्वविद्यालयांतर्गत परिचालित बी.एड. का पाठ्यक्रम, उसके उद्देश्य एवं गुणानुसार उसका विवरण निम्नप्रकार से किया जा सकता है।

xx शिवाजी विश्वविद्यालयांतर्गत संलग्नित सभी अध्यापक महाविद्यालयों में इसी विश्वविद्यालयद्वारा पुरस्कृत निम्नांकित पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसका प्रचलन सन १९९१ से लेकर हो रहा है।

• बी.एड. स्नातक पदवी के लिए प्रवेश पात्रता :-

छात्रं को इसी विश्वविद्यालया की अथवा स्वीकृत अन्य विश्वविद्यालय की प्रथम पदवी, जैसे., बी.ए., बी.कॉम, बी.एस.सी. अर्थात [कला, वाणिज्य, विज्ञान] उत्तीर्ण होना चाहिए।

जिन छात्रों ने इसी विश्वविद्यालयों से संलग्नित महाविद्यालयों में से स्नातकोत्तर पदवी प्राप्त की हो वे बी.एड. पदवी के उत्तीर्ण होने के बाद

उच्च माध्यमिक स्तर के अध्यापक के रूप में स्वीकृति पा सकेंगे। अर्थात १०+२+३ पॅटर्न में +२ [कक्षा११ वी एवं १२ वी] के लिए भी अध्यापन करने हेतु पात्र होंगे।

जो छात्र [प्रशिक्षणार्थी] अध्यापक महाविद्यालयों में प्रवेश पाते है, उन्हे अध्यापक महाविद्यालय में बी.एड्. की उपाधि प्राप्त करने हेतु निम्न प्रकार का कार्य पूर्ण करना आवश्यक है -

I] महाविद्यालयों में निर्धारित दो सत्र में कार्यान्वयित सिद्धांत [थेअरी] एवं प्रात्यक्षिक कार्य [प्रॅक्टीस] पूर्ण करना है।

II] इस सत्र में विभाजित सभी प्रकार के प्रत्यक्ष कार्य संस्थान के प्रमुख का संतोष होने तक पूर्ण करने का प्रावधान है, जिसमें निम्नांकित प्रत्यक्ष कार्य का समावेश है -

अ] सूक्ष्म पाठों सहित अन्य विषय पाठों के नमुना पाठ एवं उनकी चर्चा में हाजिर रहना।

ब] निम्नांकित अध्ययन पाठों का निरिक्षण करना।

१] सूक्ष्म अध्यापन - पाठ - १० [प्रत्येक कौशल्य के २ पाठ]

२] एकात्म - पाठ - २

३] कक्षा-अंतर्गत पाठ - ३०

क] सह पाठियों के साथ सूक्ष्म अध्यापन कौशलों का [कम से कम ५] अध्यापन अभ्यास कराना चाहिए, साथ ही एक एकात्म पाठ का आयोजन भी होना चाहिए। पाँचवी से लेकर दसवीं तक के कक्षाओं में, जो किसी स्वीकृत पाठशाला में है, तथा ग्यारहवी एवं बारहवीं कक्षाएँ जो किसी स्वीकृत पाठशाला में है, उन्हीं मे कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृत मिलने पर ही २० पाठों का [कमसे कम] विभाजित स्वरूप अध्यापन छात्र-ध्यार्थी को करना चाहिए।

ड] परीक्षा निहाय परिस्थिति में नियोजित निबंध-लेखन एवं गृहपाठा-भ्यास में हाजिर रहना।

इ] पाँच सैद्धांतिक पेपर से संबंधित एवं शारीरिक-शिक्षा, कार्यानुभव से संबंधित समाज के साथ कार्य करना का भी प्रत्यक्ष कार्य करना आवश्यक है।

ई] मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा आशययुक्त अध्यापन पद्धति के कार्यशालाओं में हाजिर रहना है।

प] पाठ्यक्रमेत्तर, पाठ्यक्रमपूरक, सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन एवं उनमें सहभागी होना है।

फ] महाविद्यालयांतर्गत सत्रांत तथा अन्य अंत:स्थ परिक्षाओं पूर्ण करता है।

शिवाजी विश्वविद्यालयांतर्गत अध्यापक महाविद्यालयों में परिचालित पाठ्यक्रम दो विभागों में विभाजित है -

अ] सैद्धांतिक पाठ्यक्रम [५०० अंक]

ब] प्रत्यक्ष कार्य पाठ्यक्रम [५०० अंक]

सैद्धांतिक पाठ्यक्रमांतर्गत कुल मिलाकर पाँच पेपर का आयोजन किया है। हर पेपर के लिए " वार्षिक परीक्षा पेपर लेखन " के लिए " १०० अंक " गुण देने की आयोजना है। इसकी उवधि ३ घंटे है।

पेपर क्र. I : भारतीय समाज में शिक्षण

पेपर क्र. II : शैक्षणिक मानसशास्त्र.

पेपर क्र. III : माध्यमिक शिक्षा और अध्यापक के कार्य.

पेपर क्र. IV : शिक्षा में नवीन प्रवाह और किसी एक का चुनावित भाग. [स्पेशालायझेशन]

[यह पेपर दो भागों में विभाजित है -]

भाग - १ : शिक्षा में नवीन प्रवाह.

भाग - २ : ऐच्छिक, जैसे :- प्रौढ शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, मूल्य शिक्षा इ. १३ प्रकारके.

पेपर क्र. V

अध्ययन विभाग में से किसी एक भाग का चुनाव अध्ययनार्थी को करना है। पेपर क्र. V में. पाठशालेय किसी दो विषयों की अध्यापन पद्धति में विशेषता प्राप्त करने हेतु दो विषयों को चुनाव करता है। इसमें जैसे की - मराठी, हिंदी, इतिहास, अंग्रेजी इ. प्रकारके कुल मिलाकर २५ विविध विषय को अध्यापन पद्धतियों को निर्धारित किया गया है।

छात्राध्यार्थी को विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी दो विषय अध्यापन पद्धति का चुनाव करना चाहिए। वार्षिक परीक्षा लेखन में प्रत्येक ५० अंक मिलकर कुल १०० अंक का आयोजन इस पेपर के लिये किया गया है।

• <u>विभाग दो</u> :-

प्रत्यक्ष अभ्यास कार्य [Practice work] में परिपूर्ण करना चाहिए, जिसके लिए कुल मिलाकर ५०० अंक है। यह पाठ्यक्रम दो विभाग में विभाजित है। एक तो अध्यापक महाविद्यालय में कार्यान्वित कार्य के लिए ४०० अंक है। तथा दूसरे पेपर क्र. 5 में चुनाचित दो विषयों के प्रत्यक्ष कार्य परीक्षा के लिए १०० अंक का नियोजन है।

अ] <u>महाविद्यालयीन कार्य</u> :-

१] अध्यापन क्षमता [अध्यापन कार्याभ्यास]

अ]	सूक्ष्माध्यापन पाठ : ५ सूक्ष्माध्यापन पाठ, और एक एकात्म पाठ.	अंक २०
ब]	कक्षाध्यापन : २० पाठ, प्रत्येक १० चुनित, प्रत्येक २ विषयों के [चुनित]	१० ८०

२] पाँच सैद्धांतिक पेपरर्स का प्रत्यक्ष कार्य
[२० अंक हर पेपर के लिए] १००

३] आशययुक्त अध्यापन कार्यशाला.
[४० अंक [प्रत्येक २ विषय के लिए] ८०

	अंक
४] समूह के साथ कार्य करना/समाज - सेवा	२०
५] कार्य अनुभव	२०
६] पाठ्यक्रमेत्तर [पाठ्यक्रम-पूरक/सांस्कृतिक गतिविधियाँ] की आयोजना करना तथा सहभाग लेना।	२०
७] गृहपाठ लेखन / निबंध लेखन परिक्षा विषय वातावरण में करना [प्रत्येक पेपर के दो, अर्थात हर पेपर के २ विभागों का]	२०
८] शारीरिक शिक्षण	२०
९] अंतस्थ परीक्षा [एक]	२०
ब] पेपर ५ के चुनावित विषय की एक प्रत्यक्ष - परीक्षा देना।	१००
कुल अंक	१०००

२.४ हिंदी अध्यापन विधि का बी.एड. पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्थान :-

बी.एड. पाठ्यक्रमांतर्गत पेपर क्र.5 के अंतर्गत हिंदी विषय को लेकर हिंदी भाषाध्यापक बनने के लिए " हिंदी-अध्यापन-विधि " पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पडता। इस पाठ्यक्रम का विवेचन आगे आया है।

हिंदी अध्यापन विधि पाठ्यक्रम दो विभागों में विभाजित है,-

अ] सैद्धांतिक पाठ्यक्रम

ब] प्रात्यक्षिक कार्य - कार्यशालाएँ

प्रस्तुत अनुसंधान का विषय हिंदी अध्यापन विधि के संबंध के होने से यहाँ हिंदी अध्यापन विधि का सैद्धांतिक भाग एवं हिंदी - अध्यापन - विधि से संबंधित केवल प्रत्यक्ष कार्य का विवेचन किया गया है।

२.४.१ बी.एड्. के अन्य विषयों की तुलना में हिंदी अध्यापन विधि का स्थान :-

बी.एड्. के प्रशिक्षणांतर्गत कुल पाँच विषयके पेपर का अध्ययन करना पडता है। इन पाँच पेपर्स के लिए सौ [१०० प्रत्येक पेपर के लिए] अंको को निर्धारित किया है। इनमें से पेपर पाँच में छात्रशिक्षकों को दो अध्यापन विधियों का अध्ययन करना पडता है। उसमें एक अध्यापन विधि के रूप में जो छात्रशिक्षक हिंदी अध्यापन विधि का चुनाव करते उन्हें ५० अंक के लिए [परीक्षा के] सैद्धांतिक पाठ्य-क्रम - विभाग का अध्ययन करना पडता है। अत: कुल पाँच सौ [५००] अंको की तुलना में पचास [५०] अंक अर्थात १० % प्रतिशत अंक हिंदी अध्यापन विधि को जाते हैं।

हिंदी अध्यापन - विधि के लिए कुल हप्ते में दो [२] तासिकाओं का आयोजन है। यही तत्व सभी पाँच पेपर्स के दोनों विभागों के लिए निर्धारित है। अत: हिंदी अध्यापन - विधि का समय के संदर्भ में स्थान [वेटेज] ३.१७ % प्रतिशत मिला है। कुल ५० घंटे निर्धारित समय दिया गया है।

हिंदी – अध्यापन – विधि के छात्रशिक्षकों के लिए अध्यापन विधि से संबंधित

प्रात्यक्षिक कार्य :-

हिंदी अध्यापन विधि का चुनाव करनेवाले छात्रशिक्षकों को हिंदी – अध्यापन – विधि के संबंध में निम्नांकित प्रात्यक्षिक कार्य की पूर्ति करनी पडती है। इनका कुल प्रात्यक्षिक कार्य के स्थान में स्थान क्या है, इसका विवेचन निम्न परिच्छेदों में किया गया है।

१] सूक्ष्माध्यापन-प्रत्यक्ष कार्य-कार्यशाला :-

अध्यापन क्षमताओं अंतर्गत सूक्ष्माध्यापन प्रत्यक्ष कार्य का समावेश है। इसके लिए बीस [२०] अंको को निर्धारित किया है। कुल प्रात्यक्षिक कार्य के अंक पाँच सौ [५००] की तुलना में १० ٪ प्रतिशत स्थान मिला है। इस प्रत्यक्ष कार्य के लिए नब्बे [९०] घंटे का समय निर्धारित हुआ है, जो कुल प्रत्यक्ष कार्य के समय के ३० ٪ संदर्भ में, ७.१४ ٪ प्रतिशत स्थान पा सका है।

२] आशययुक्त अध्यापन कार्य शाला :-

प्रस्तुत कार्यशाला के लिए चालीस [४०] अंको को निर्धारित किया है। कुल प्रात्यक्षिक कार्य के अंक पाँच सौ की तुलना में २० ٪ प्रतिशत स्थान मिला है। इस प्रत्यक्ष कार्य के लिए पच्चास [५०] घंटेका समय निर्धारण हुआ है, जो कुल प्रत्यक्ष कार्य के समय के [६०.३० ٪] संदर्भ में ३.९७ ٪ प्रतिशत स्थान पाया है।

३] मूल्यमापनाधारित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

प्रस्तुत कार्यक्रम के लिए पाँच घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसके लिए दस [१०] गुणों का निर्धारण किया है। इस कुल प्रशिक्षण - प्रात्यक्षिक कार्य के अंको की तुलना में ५ % प्रतिशत स्थान मिला है।

४] अभ्यास [सराव] पाठ प्रशिक्षण एवं शालेय अनुभव कार्यक्रम :-

प्रस्तुत प्रत्यक्ष कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुल एक सौ अस्सी [१८०] घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चालीस [४०] अंकों को निर्धारित किया है। कुल प्रत्यक्ष कार्य के अंक पाँच सौ [५००] की तुलना में २० % प्रतिशत स्थान मिला है।

५] सैद्धांतिक पाठ्यक्रम से संबंधित प्रात्यक्षिक कार्य :-

प्रस्तुत प्रात्यक्षिक कार्य हिंदी अध्यापन विधि के सैद्धांतिक विभाग से संबंध रखता है। इसके अंतर्गत पाँच विषय रखे है। इनमें से एक को चुनकर छात्र-शिक्षकों का प्रात्यक्षिक कार्य की पूर्ति करनी होती है। इस प्रत्यक्ष कार्य के लिए दस [१०] घंटे का समय निर्धारित किया है। कुल प्रत्यक्ष कार्य के समय की तुलना में इसे ०.७९ % प्रतिशत स्थान मिला है। इस प्रत्यक्ष कार्य के लिए दस [१०] गुणों का निर्धारण हुआ है।

संक्षेप में हिंदी अध्यापन विधि के सैद्धांतिक एवं प्रात्यक्षिक कार्य का स्थान निम्नांकित सारणी में है।

सारणी क्र. २.१

		अंक	समय [घंटे]	समय के संदर्भ में प्रतिशत %
अ]	हिंदी पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक पेपर के अंक.	५०	५०	३.९७ %
ब]	प्रात्यक्षिक कार्य : कार्यक्रम			
	१] सूक्ष्माध्यापन	२०	१०	७.१४ %
	२] आशय युक्त अध्यापन	४०	५०	३.९७ %
	३] मूल्यमापनाधारित विशेष प्रशिक्षण.	१०	५	०.३९ %
	४] अभ्यास [सराव] पाठ, प्रशिक्षण एवं शालेय अनुभव कार्यक्रम	४०	१८०	१४.२८ %
	५] सैद्धांतिक पाठ्यक्रम से संबंधित प्रात्यक्षिक कार्य	१०	१०	०.३९ %
	एकूण -	१७०	३८५	३०.१४ %

उपर्युक्त सारणी से यह लगता है कि, हिंदी अध्यापन विधि के पाठ्य क्रम का स्थान कुल बी.एड्. के पाठ्यक्रम में ३०.१४ % प्रतिशत है। हिंदी अध्यापन विधि का पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक भाग का अध्ययन छात्रशिक्षक सिर्फ

पच्यास अंक को प्राप्त करने के लिए करते है। इन्हीं पर उसे जो अंक मिलते है, उससे उसकी क्षमताओं का मापन किया जाता है।

वस्तुत: देखा जाये तो पाठ्यक्रम के आधे से ज्यादा घटक प्रत्यक्ष कार्याभिमुख है। उनका अध्ययन भी वार्षिक परीक्षा के लिए करना होता है। किन्तु अन्य विषयों की तुलना में सिर्फ १० % प्रतिशत ही स्थान इस अध्यापन विधि को मिला है। जिस विषयका अध्यापक बनना है, उसी विषय के पेपर के लिए [सैद्धांतिक भाग के] इतना कम स्थान, महत्व उचित नहीं लगता। अत: अध्यापन विधि का पाठ्यक्रम सौ अंको के लिए रखना चाहिए। बाकी चार पेपर्स तो अध्यापक को पूरक रूप में मदत करते है, जबकि हिंदी अध्यापन विधि का पाठ्यक्रम के अध्ययन से उसे हिंदी विषयाध्यापन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से फायदा होता है।

२.५ हिंदी अध्यापन विधि के सैद्धांतिक पाठ्यक्रम का विवेचन :-

शिवाजी विद्यापीठ में सद्य प्रचलित बी.एड्. का पाठ्यक्रम जून १९९२ से लेकर निर्धारित किया गया है।

इसमें जैसे कि हम देख चुके है, पाँच पेपरर्स है। जिसमें प्रशिक्षणार्थीयों को उनके " स्नातक विषय विशेष " को मद्देनजर रखकर पेपर नं. ५ के लिए किसी एक अध्यापन पद्धति का विशेष अध्ययन करने के लिए अवसर प्राप्त कराया दिया जाता है।

उदा. :- बी.ए. तक मराठी, हिंदी, इतिहास इ. विशेष [संपूर्ण] विषय को लेकर जो स्नातक की पदवी प्राप्त करते है, उन्हें उसी विषय के तहत

अध्यापन पद्धति का चुनाव करना निहायत जरूरी होता है, बल्कि उसी विषय के आधार पर छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

जिन छात्रों को विशेष विषय के रूप में हिंदी अध्यापन पद्धति का प्रशिक्षणार्थी के रूप में प्रवेश मिलता है, उन्हें सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के रूप में तथा " प्रात्यक्षिक कार्य के " रूप में हिंदी अध्यापन पद्धति, विषय का अध्ययन पूर्ण करना पडता है।

२.५.१ हिंदी अध्यापन पद्धति पाठ्यक्रम के उद्देश्य :-

निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत उनके उद्देश्यों का स्थान महत्वपूर्ण होता है। बल्कि यूँ कहा जा सकता है, कि उद्देश्य विहीन किसी पाठ्यक्रम का निर्धारण करना और उसे कार्यान्वित करना किसी विशाल सागर में दिशाहीन भटकने वाली नौका का प्रतिनिधित्व करनेवाला कहलायेगा। जिसकी कोई मंजिल नहिं होती, जिनके परिणामों के बारे में कोई निष्कर्ष, उपेक्षित फलनिष्पत्ति की आकांक्षा नही की जा सकती।

इसीलिए निर्धारित " हिंदी अध्यापन पद्धति " के पाठ्यक्रम के लिए निम्नांकित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है - इनमें अध्ययनकर्ताओं को प्रशिक्षित करने समय, विवक्षित विषय प्राध्यापकों को मार्गदर्शक उद्देश्यों को समझाये दिये गये है, तथा कौनसी क्षमताएँ छात्रअध्ययनकर्ताओं में लानी है, इसका संक्षेप में मार्गदर्शन भी दिया गया है। वे यह उद्देश्य निम्नांकित है -

१] भारतीय जीवन, संस्कृति तथा शालेय पाठ्यक्रम में हिंदी का स्थान समझ लेने में सहाय्यता करना।

२] माध्यमिक पाठशालोंमें दूसरी भाषा के रूप में हिंदी सीखाने के उद्देश्यों को समझ लेने में मदत करना।

३] हिंदी की रचना तथा गठन संबंधी संकल्पना से अवगत करना।

४] हिंदी का निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों को समझने में तथा उनकी आलोचना करने में समर्थ बनाना।

५] आशय विश्लेषण प्रणाली से अवगत करना।

६] हिंदी शिक्षा की विभिन्न प्रणालियाँ, प्रयुक्तियाँ आदि से अवगत करना, और आशययुक्त अध्यापन प्रणाली की संकल्पना समझ लेने में मदद करना।

७] कक्षानुसार तथा आशय के अनुसार भिन्न प्रणालियों की योजना करना सीखाना।

८] हिंदी शिक्षा में समुचित अनुभव तथा साधनों से परिचित करना।

९] हिंदी शिक्षा का नियोजन तथा व्यवस्थापन का कौशल्य अवगत करने में सहाय करना।

१०] हिंदी भाषा शिक्षा के विविध अंगों का अध्यापन करने की विधि से अवगत करना तथा क्षमता प्राप्त करने में मदद करना।

११] हिंदी भाषा मूल्यांकन प्रणाली से अवगत करना।

१२] हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में वांछनीय गुणों को समझ लेने में और गुणों को प्राप्त करने में मदद करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को साध्य करने हेतु निम्नांकित अध्ययन घटकों की [युनिटस्] आयोजना की गयी है -

२.५.२ "हिंदी अध्यापन पद्धति" पाठ्य घटकों का विश्लेषणात्मक विवेचन :-

हिंदी विषयाध्यापन करने हेतु जो प्रशिक्षणार्थी उपर्युक्त पाठ्यक्रम का चुनाव करते है, उन्होंने स्नातक पदवी प्राप्त करते समय तक इस विषय का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया होता है।

स्नातक पदवी तक हिंदी भाषा का बोलचाल या संभाषण, भाषण के अंग पर तथा लिखना, हिंदी भाषा लेखन पर भी पर्याप्त प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है।

भाषा के विविध अंगो से लेकर हिंदी भाषा साहित्य विधाओं का भी ज्ञान उन्हें होता है। अत: बी.एड्. में प्रवेश पाते समय भाषा का बिबिधांगी पर्याप्त ज्ञान की प्राप्ती का निकष तो उन्हें लागू होता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि, हिंदी अध्यापन विधि पाठ्यक्रम में मार्ग-दर्शित निर्धारित उद्देश्य एवं पाठ्य-घटक इनका परस्पर संबंध सफल अध्यापक बनने हेतु किस हदतक उपयुक्त है, या विवक्षित उद्देश्यों की पूर्ति निर्धारित पाठ्यघटकों में से होती है, या नहीं इसका विवेचन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

घटक क्र. १ : पाठ्यक्रम में हिंदी का स्थान :-

अ] राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में तथा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाला पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र के अनुसार हिंदी का स्थान एवं महत्व।

ब] हिंदी का अन्य विषयों से एवं अंतर्गत अनुबंध।

उपर्युक्त घटक के अंतर्गत माध्यमिक पाठशालांतर्गत हिंदी का स्थान क्या है ? उसका महत्व क्या है ? इसकी जानकारी अध्यापनद्वारा दी जाती है।

हिंदी राज्यों में हिंदी भाषाध्यापन प्रथम भाषा के रूप में तथा हिंदी-त्तेर राज्यों में हिंदी-भाषाध्यापन द्वितीय भाषा के रूप में तथा अंग्रेजी माध्यम पाठशालाओं में हिंदी भाषाध्यापन तृतीय भाषा के रूप में करते समय हिंदी भाषा का स्थान एवं महत्व के बारे में छात्राध्यापक को ज्ञान दिया जाता है।

भारतीय राज्यघटना के कलम ३५१ के अनुसार [सन सितम्बर, १९४९] में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो मिला है, किन्तु भारत के सभी राज्यों ने विशेष कर दक्षिणी राज्यों ने इसकी स्वीकृति नहीं दी है। यह

विविध अनुसंधान कार्यों द्वारा परिक्षण किया गया है।

अत: राष्ट्रभाषा की भूमिका निभाते हुए हिंदी भाषाकी राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान इ. जिम्मेदारियाँ है।

त्रिभाषा सूत्र का परिचालन सन१९५५ से संपूर्ण भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में विशेष्य स्थान हिंदी को मिला है। इसीलिए हिंदी भाषाध्यापन करते समय राष्ट्रभाषा के रूपमें हिंदी का प्रचार, प्रसार, रुचिका विकास एवं राष्ट्रीय उद्देश्योंकी परिपूर्ति कैसे की जासकती है, इसके बारें मे छात्राध्यार्थि को घटक क्र. १ द्वारा जानकारी देने में उपयुक्त है।

भारत विविध भाषी राष्ट्र है। अत: अलग अलग भाषिक लोगों मे परस्पर विचारों की, संस्कृति की आदान-प्रदानता होने के लिए, बेपार, प्रौद्योगिकी ज्ञान, विज्ञान की आदान-प्रदानता, हिंदी भाषा का उपयोग संपर्क भाषा के रूप में पूर्ण राष्ट्र में हो, इसके लिए भी अध्यापक को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अत: संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी से टक्कर लेते हुए उसका विकास पुष्ट रूप से कैसे हो सकता है, इसकी जानकारी देना, विविध उद्देश्यों से परिचित कराना तथा उपर्युक्त उद्देश्यों की परिपूर्ति कैसे की जा सकती है, उद्देश्यों की परिपूर्ति न होने से कौनसी सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय एवं शैक्षणिक हानियाँ हो सकती है, इनकी जानकारी देने हेतु प्रस्तुत घटक क्र. २ निहायत उपयुक्त है।

इस घटक में हिंदी भाषा शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों मे राष्ट्रीय उद्देश्य, जैसे राष्ट्रीय एकता बनाना, उसका महत्व समझ लेना, सांस्कृतिक उद्देश्य, जैसे की विविध धर्मिय अलग अलग संस्कृति से परिचित होना, उनको

स्वीकार करना, आदर दिखाना, साहित्यिक उद्देश्य, जैसेकी, विविध भाषी रचना साहित्य को पढने के रुचि, उन्हें हिंदी में अपनी स्वयं की भाषा में परिवर्तित करने की रुचि, साहित्य में से सामाजिक, मानवीय, सांस्कृतिक मूल्य-विचार समझना आदि तथा व्यावहारिक उद्देश्य, जैसी की विचारात्मक आदान प्रदान, बेपार, पर्यटन इ. हेतु व्यवहार में हिंदी भाषा लाने के उद्देश्य को समझना इसमें अपेक्षित है। जिसका परिणाम यह हो सकता है, कि भाषिक दूरियाँ सीमटकर कम हो सकती है।

हिंदी भाषा द्वितीय भाषाध्यापन के रुप में करते समय, माध्यमिक पाठशालामें छात्रों के " हिंदी-भाषा " सीखने के विशेष्य उद्देश्य क्या है ? तथा उन विशिष्ट उद्देश्य का विशेष स्पष्टीकरण कौनसे है ? इसके बारें मे प्रशिक्षणार्थी जानकारी प्राप्त कर लेता है। उदाहरण स्वरुप,- हिंदीभाषा का व्याकरण सीखाते समय " लिंग भेद " के बारे में " आकलन " छात्र को होना है, यह उद्देश्य अध्यापक बनाना है और अध्यापन के बाद छात्र जब " किताब " के लिए स्त्रीलिंग तथा " मेज और टेबुल " के लिए अनुक्रम से स्त्री-लिंग एवं पुल्लिंग क्यों है इसका स्पष्टीकरण दे दे, तो वह गहरा आकलन हुआ है। अत: छात्र एकही चीज के लिए विविध शाब्दों का लिंग पहचान सकता है। इसके बारें में जानकारी देने हेतु यह घटक अपयुक्त है।

महाराष्ट्र राज्य में " त्रिभाषा सूत्र " का परिचालन सूयशतापूर्वक हो रहा है यह अनुसंधान कार्योद्वारा सिद्ध हो चुका है। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार महाराष्ट्र में हिंदी भाषा का स्थान द्वितिय स्तर पर है। अंग्रेजी माध्यम के माध्यमिक पाठशाला में कई जगह हिंदी का स्थान तृतीय भाषा के रुप में है।

12864

A

अत: उपर्युक्त घटक क्र. १ पढाने से बी.एड. पाठ्यक्रम में हिंदी अध्यापन विधि के निर्धारित उद्देश्यों में से नंबर दो का उद्देश्य तथा किसी हदतक नंबर एक का उद्देश्य स्पष्ट होने में सहायता मिलती है।

कोई भी ज्ञान विशिष्ट विषय के चौखट में बंधित नही किया जा सकता। ज्ञान का क्षेत्र विषय का नाम देकर विभाजित किसी हदतक किया जा सकता है, अपितु उसमें गर्भित ज्ञान की रेखा क्षितिजासमान भासिमान होती है। इसलिए हिंदी भाषा का अन्य विषयों से तथा स्वयं स्व अंतर्गत अनुबंध कैसे है, इसकी जानकारी भी छात्राध्यार्थि को मिलती है।

घटक क्र. २ : हिंदी भाषा शिक्षा के उद्देश्य :-

अ] हिंदी भाषा शिक्षा के व्यापक उद्देश्य : राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा व्यावहारिक।

ब] द्वय्यम भाषा के नाते हिंदी सीखने के विशिष्ट उद्देश्य तथा उनके स्पष्टीकरण।

क] भाषा शिक्षा के विद्यामान माध्यमिक शाला पाठ्यक्रम मे हिंदी के उद्देश्य।

उद्देश्य के बिना पाठ्यक्रम का कोई उपना महत्त्व नहीं बनता। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि, उद्देश्यों के बिना पाठ्यक्रम का आयोजना दिशा-हीन आयोजना कार्य है। छात्राध्यार्थि को हिंदी भाषाध्यापन के उद्देश्यों

तथा भेद स्पष्ट करता है। यह स्पष्टीकरण योग्य है। इसी तरह के अन्य उद्देश्य हिंदी भाषा शिक्षा से परिचित होने में यह घटक उपयुक्त है।

साथ ही माध्यमिक पाठशाला में हिंदी भाषा शिक्षण के कौनसे उद्देश्य है, इसके प्रति परिचित कराने में प्रस्तुत घटक उपयुक्त है। उदाहरण - के स्वरूप किसी कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक में समाहित, किसी पाठ, कविता द्वारा पाठ्यक्रम में निर्धारित उद्देश्य कैसे साध्य किये जा सकते है, इसके बारें में छात्र जानकारी लेते है। जैसे कि कक्षा ८ वी से १० वी तक माध्यमिक पाठ्य-क्रम में हिंदी भाषा शिक्षा के निर्धारित उद्देश्य कौनसे है, उन्हें कैसे पूर्ण कर सकते है, इसके बारें में प्रशिक्षणार्थि को जानकारी मिलती है।

अत: प्रस्तुत घटक के अध्ययन द्वारा छात्राध्यापक उद्देश्यों की परि - पूर्णता से जानकारी लेता है, अपितु ठोस रूप से यह कहा जा सकता है कि, हिंदी अध्यापन विधि पाठ्यक्रम के नंबर १ एवं नंबर २ के उद्देश्य पूर्णरूपेण इस घटक के अध्ययन द्वारा पूर्ण हो सकते है।

घटक क्र. ३ : हिंदी की रचना तथा गठन :-

अ] मुख्य संकल्पना, सामान्यीकरण।

ब] कक्षानुसार हिंदी भाषा का ज्ञान।

हिंदी की रचना तथा गठन क्या है अर्थात भाषा का संगठन कैसे हुआ है, इसका ज्ञान छात्रशिक्षकों के लिए अत्यावश्यक है। भाषा रचना के ढाँचे छात्रों के उम्रनुसार अर्थात कक्षानुसार कैसे दे, जिससे छात्र क्रियाशील रहे, इसका ज्ञान छात्रशिक्षकों को देने हेतु प्रस्तुत घटक की आयोजना हुई है।

साथ ही हर पाठ का आशय उसमें अंतर्निहित विविध संकल्पनाओं सहित समझने में तथा आशय में गुप्त तत्वों का सामान्यीकरण करने की क्षमता छात्र प्राप्त करें, इसके प्रति जागरूक रहे यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

क्रम के लिहाज से आशय ज्ञान देते वक्त अलग अलग अनुभव देकर, अलग अलग उद्देश्य सामने रखकर आशय ज्ञान कैसे दिया जाये इसकी जानकारी देने प्रस्तुत घटक उपयुक्त है।

घटक क्र. ४ : हिंदी पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का आलोचनात्मक अध्ययन :-

अ] पाठ्यक्रम का महत्व तथा निर्माण के तत्व।

ब] महाराष्ट्र राज्य में विद्यमान माध्यमिक हिंदी पाठ्यक्रम का स्वरूप तथा आलोचनात्मक अध्ययन।

क] हिंदी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएँ तथा उनका आलोचनात्मक अध्ययन।

ड] हिंदी अध्यापक - हस्तपुस्तिका तथा स्वाध्याय पुस्तिका का आलोचनात्मक अध्ययन।

ई] आशय - विश्लेषण : संकल्पना एवं प्रक्रिया।

उपर्युक्त पाठ्य घटक सर्वांगपरिपूर्ण जिम्मेदार अध्यापक, सजागृत अध्यापक बनने के लिए ज्यादा मात्रा में उपयुक्त है। माध्यमिक पाठशाला में निर्धारित हिंदी विषय के पाठ्यक्रम की सोद्देश्य जानकारी लेने के लिए यह घटक छात्राध्यार्थि को सहायता करता है। सार्थही पाठ्यपुस्तकों का आलोचनात्मक अध्ययन करने के बादx उद्देश्यों की परिपूर्ति कितने हदतक होती है, इसके बारें में जानकारी दिलाने में यह पाठ्य-घटक उपयुक्त है।

इसमें पाठ्यक्रम का महत्व क्या है ? पाठ्यक्रम निर्धारण की पुर्वा - वश्यकता एवं अपेक्षित परिणाम कौनसे होने चाहिए, इसके बारे में छात्राध्यार्थि गहराई से जानकारी लेते है। साथ ही पाठ्यक्रम निर्माण के तत्वों से भी सुपरिचित हो जाते है। जैसे कि,

महाराष्ट्र राज्य में माध्यमिक पाठशालाओं में निर्धारित पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या है ? भाषा सीखनेके साथ - साथ भाषिक साहित्य किन - किन पहलूओं से समाविष्ट है ? उनके द्वारा कौनसे उद्देश्यों की परिपूर्ति हो जाती है, छात्रों का हिंदी भाषा का विकास तथा अन्य राष्ट्रीय, सांस्कृतिक आदि इ. उद्देश्यों की परिपूर्ति उनमें से होती है या नहीं, इसकी आलोचना करने का अवसर छात्रों को प्राप्त होता है तथा निर्धारित पाठ्यक्रम से वे अच्छी तरह परिचित हो जाते है।

हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों के आलोचनात्मक अध्ययन द्वारा प्रशिक्षणार्थि को पाठ्यपुस्तक की उपयुक्तता, त्रुटियाँ इनसे परिचित होने का सुअवसर प्राप्त होता है, तथा साथ-साथ पाठ्यपुस्तके विशेषताओं से एवं त्रुटियों से वे सजग हो जाते है।

हर कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक का सहारा लेकर अध्यापन कैसे करना चाहिए, हर पाठ पढाते समय कौनसे उद्देश्यों को निर्धारित समक्ष किया जाये, उन उद्देश्यों की परिपूर्ति के बारे में मूल्यमापन प्रक्रिया का अवलंबन कैसे हो, इसके बारे में विषयतज्ञों द्वारा मार्गदर्शित, लिखित हस्तपुस्तिकाएँ तथा स्वाध्याय पुस्तिकाओं का आलोचनात्मक अध्ययन उपर्युक्त मद्यों को लेकर कैसे किया जाता है, इसका ज्ञान प्राप्त करने का अवसर इस घटक के अध्ययन द्वारा मिलती है।

इसमें और एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, आशय विश्लेषण की संकल्पना एवं प्रक्रिया। आशय विश्लेषण गद्य, पद्यनुसार किन मद्यों को लेकर करना चाहिए वह सर्वांगस्पर्शी कैसे हो तथा विश्लेषण करते समय उपयुक्त प्रक्रिया कौनसी, कैसी हो सकती है, इसके बारे में प्रशिक्षणार्थि ज्ञान प्राप्त करते है। अत: आशय विश्लेषण की जानकारी दिलानें में यह घटक उपयुक्त है।

घटक :५, :- हिंदी शिक्षा की प्रणालियाँ तथा प्रयुक्तियाँ :-

अ] हिंदी शिक्षा की प्रणालियाँ, स्वाभाविक प्रणाली, व्याकरण अनुवाद प्रणाली, प्रत्यक्ष प्रणाली, डॉ. वेस्ट प्रणाली, गठन तथा रचना प्रणाली, सम्वायात्मक प्रणाली।

ब] अध्यापन प्रयुक्तियाँ : प्रश्न, विवरण, उदाहरण, नाट्यीकरण, स्वाध्याय।

क] अध्यापन के सूत्र तथा तंत्र।

हिंदी अध्यापन विधि पाठ्यक्रम का उपर्युक्त पाठ्यघटक शिक्षा की विविध प्रणालियों से छात्राध्यापक को परिचित कराता है। इन प्रणालियों की आयोजना कौनसे कक्षा के विद्यार्थिओं के लिए, कौनसे पाठ्यांश घटक के लिए कैसे करना चाहिए, इसके बारे में छात्र प्रशिक्षणार्थी को जानकारी मिलती है।

रुचिपूर्ण अध्यापन करने में या अध्यापन में विविधता लाने हेतु उपर्युक्त

अध्यापन प्रयुक्तियाँ को कैसे अंमल में लाया जायें, इन प्रयुक्तियों द्वारा सफल अध्यापन कैसे किया जा सकता है, इसके बारें में प्रस्तुत घटक के अध्ययन पश्चात छात्र प्रशिक्षणार्थी जानकारी हासिल कर लेते है।

अध्यापन के विविध सूत्रों का अवलंबन करने से विशिष्ट पाठयांश घटक का अध्यापन सफलतासे किया जा सकता है। अत: कौन से पाठयांश घटक का अध्यापन करते समय किन अध्यापन सूत्रोंका अवलंब करना चाहिए, इसके बारें में भी पूर्ण रूपेन जानकारी मिलती है, जैसे कि, ज्ञात से अज्ञात की ओर या सामान्य से विशेष की ओर इ. सूत्रों द्वारा छात्रों के पूर्वज्ञान से उन्हें नये ज्ञान की प्राप्ती कैसे दी जा सकती है, इसके बारे में ज्ञान देने में प्रस्तुत घटक उपयुक्त है।

घटक क्र. ६ : <u>शिक्षा के अनुभव तथा साधन</u> :-

अ] <u>हिंदी शिक्षा के अनुभव</u> :- श्रवण, लेखन, वाचन, भाषेण, नाटयीकरण, विस्तार, अनुवाद, स्थायिभरण, अभिव्यक्ती, मुखोद्गत करना, कोष तथा संदर्भ ग्रंथो का आधार लेना, अध्यापन साधनों का तथा उपक्रमों का अवलंब।

ब] <u>अध्यापन साहित्य और साधन</u> :

चित्र, तखता, मॅग्नेटिक तथा फ्लॅनेल, फ्लक, काँच चित्र, चित्र-पट्टी, टेपरेकॉर्डर, रेकॉर्ड प्लेअर, रेडिओ, व्हिडिओ, टि.व्ही., भाषा प्रयोगशाळा।

क] अभ्यासानुवर्ति कार्यक्रम :-

वादविवाद सभा, विविध प्रतियोगिताएं, [वक्तृत्व, हस्ताक्षर, पाठांतर, निबंध लेखन, अंत्याक्षरी] हस्तलिखित प्रकाशन, भित्ति-पत्रक, नाट्यीकरण, पुस्तक प्रदर्शनी, हिंदी - दिन मनाना।

अध्यापन प्रक्रिया प्रभावपूर्ण ढंग से होने हेतु तथा छात्रों का अध्ययन आकलनपूर्ण होने के लिए अध्यापन में विविधता होनी चाहिए। जिसके बारें में पूर्ण रूपमें अवसर उपर्युक्त घटक देता है। क्लास में सिर्फ बोलते जाना एवं छात्रों को प्रश्न पूँछना इतनी ही क्रिया अध्यापन में समावेशित नही। छात्रों का अध्ययन रुचिपूर्ण, आकलनसहित होने हेतु अध्यापक को अध्ययन अनुभव छात्रों को देने पडते है। हिंदी भाषा अध्यापन में हिंदी शिक्षा अनुभव, जैसे कि, श्रवण, लेखन, नाट्यीकरण, विस्तार आदि उपनिर्दिष्टित अनुभवों की आयोजना कैसी करनी चाहिए, उनके उद्देश्य कौन से होते है, इसके बारें में उपर्युक्त पाठ्य-घटक का " अ " भाग ज्ञान देने में उपयुक्त है।

भाषा अध्यापन ज्यादा रुचिपूर्ण, विविधांगी बनाने में अध्यापन साहित्य एवं साधन निहायत कैसे उपयुक्त सिद्ध हो सकते है, कॉंच चित्र, रेकॉर्डर इनकी भाषा शिक्षा में. सहायता कैसे ली जा सकती है, तथा भाषा प्रयोगशाला रेकॉर्ड प्लेअर द्वारा भाषा अनुकरण द्वारा कैसे सीखाई जा सकती है, साथ ही मानवी अध्यापन से भी ज्यादा सुयोग्य उपलाब्धि इन साधनों से क्या मिल सकती है, इसके बारे में यह पाठ्यघटक "ब" प्रशिक्षणार्थी को ज्ञान देता है। यह पाठ्यघटक छात्राध्यार्थी को प्रौद्योगिकी साधनद्वारा भाषाध्यापन कैसे करे इसकी संकल्पनात्मक उपलाब्धि मात्र है।

भाषा प्रयोग जितना बोलने में, संभाषण, भाषण में अधिक उतनी ही उसकी परिमार्जितता तथा प्रगतीपूर्ण स्थिति - छात्र आपनाते है। मातृभाषेत्तर भाषा पर अच्छी तरह से प्रभुता पाने के लिए संभाषण, भाषण के अवसर प्राप्त करा देने चाहिए। ऐसे अवसर अभ्यासानुवर्ति कार्यक्रमों की आयोजना द्वारा कैसे दिये जा सकते है ? उनकी आयोजना कैसे हो, इसका आशयात्मक तथा प्रत्यक्ष कार्यक्रम द्वारा अनुभव दिलाने में यह पाठ्यघटक "क" एक परिपूर्ण उपलाब्धि है।

लेकिन भाषाअध्यापन में सहायक न बनने वाले किन्तु बहुत ही कम मात्रा में उपयुक्त होनेवाले भी साधन है, जिसका उपयोग तो किया जा नही सकता। जैसे की मधे ग्राफ, आकार, चित्राकृति इ. के लिए उपयुक्त ज्यादा होनेवाले मॅगनेटिक तथा फ्लॅनेल, हो या काँच चित्र [स्लाईड्स] जो भाषाध्यापन में उतने प्रवाही साधन की भूमिका नहीं निभा सकते जितना की विज्ञान या भूगोल अध्यापन में सहायक बनतें है।

घटक क्र. ७ : हिंदी शिक्षा का नियोजन तथा व्यवस्थापन :-

अ] वार्षिक नियोजन।

ब] घटक नियोजन।

क] <u>पाठ्यनियोजन</u> -

उद्देश्य-स्पष्टीकरण, आशय, शिक्षा अनुभव, साहित्य, मूल्यामापन, स्वाध्याय।

ड] <u>पाठ्यप्रकार</u> :

ज्ञानपाठ, रसग्रहण पाठ, सार संग्रहणपाठ, निबंध लेखन पाठ, व्याकरण पाठ आदि.

उपर्युक्त पाठ्य-घटक छात्र प्रशिक्षणार्थि को " हिंदी भाषा पाठ्य-क्रम का पाठशालाओं में " नियोजन कैसे किया जाये तथा उसकी कार्यान्विती कैसे की जाये, इसके बारे में जानकारी देने हेतु सहायता देता है।

पाठशालामें अध्यापक की जिम्मेदारी निभाते समय हर कक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम का वर्ष का पूर्ण नियोजन, हर महिने में कैसे करे, पाठ्यक्रम को विविध घटकों मे जैसे, कहानी, नाट्य-प्रवेश, कविता, फिर कविता में भी देशभक्तीपर कवीता, वात्सल्यमयी कविता आदि घटक बनाकर उनका अध्यापन एवं मूल्यमापन प्रक्रियासहित सैद्धांतिक रुप से एवं प्रत्यक्ष कार्य की आयोजना द्वारा जानकारी दिलाने में उपर्युक्त घटक उपयुक्त है।

इसी प्रकार पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ का नियोजन कैसे करे तथा पाठ के प्रकारों के बारे में भी जानकारी इस पाठ्यघटक के अध्ययन द्वारा छात्र प्रशिक्षणार्थी प्राप्त करते है।

साथ " मूल्यमापन कृती सत्र " नामक " प्रत्यक्ष कार्य " की परिपूर्ति अर्थात सैद्धांतिक ज्ञान की उपलाब्धि इस पाठ्य घटक द्वारा छात्राध्यार्थी को होती है।

घटक क्र. ८ : हिंदी भाषा शिक्षा के विविध अंगों का अध्यापन :-

अ] श्रवण आकलन और मौखिक अभिव्यक्ती।

ब] संभाषण।

क] लेखन लिपी परिचय, शुद्धलेखन, हस्ताक्षर, अनुलेखन, श्रुतलेखन।

ड] वाचन - मौखिक, मौन, सूक्ष्म, स्थूल, ग्रंथालय वाचन।

इ] गद्य का अध्यापन।

फ] पद्य का अध्यापन।

ग] रचना मौखिक और लिखित अध्यापन।

ह] व्याकरण का अध्यापन।

स] नाटय।

भाषा शिक्षा के उपर्युक्त विविध अंगों का अध्ययन करना पाठशाला में निर्धारित किये गये पाठयक्रम में जरूरी है। अत: छात्र प्रशिक्षणार्थी को भी इन अंगो का अध्यापन कैसे करे ? उनके उद्देश्य कैसे निर्धारित करे तथा उनकी मूल्यमापन प्रक्रिया कैसी रहे, इसके बारे में अध्ययन करना निहायत जरूरी है।

उपर्युक्त भाषा के विविध अंगों के अध्ययन होने के पश्चात ही हर कोई छात्र भाषाकी श्रवण, संभाषण, वाचन, लेखन तथा कल्पनात्मक, विचारात्मक लेखन भाषण इ. अंगों पर प्रभुत्व पाकर भाषा पर अधिकार पा सकता है। इसके लिए अध्यापक के लिए भी उक्त सभी भाषांगोंपर प्रभुत्व पाना आवश्यक है इसलिए यह पाठयांश घटक एक सुंदर उपलब्धि है। साथ ही भाषा की साहित्यिक विधाओं का ज्ञान भी उपर्युक्त घटक के अध्ययन द्वारा छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्राप्त होता है।

घटक क्र. ९ : मूल्यांकन प्रणाली :-

अ] हिंदी भाषा मूल्यांकन प्रणाली का स्वरूप, प्रश्न के प्रकार परीक्षा, नियोजन।

ब] घटक कसौटी रचना तथा प्रशासन।

क] निदानात्मक परीक्षा तथा उपचारात्मक अध्यापन।

भाषा अध्यापन जितना क्लिष्ट है, उससे भी ज्यादा भाषा का मूल्यांकन हैं लेकिन अध्ययनार्थी का ज्ञान, आकलन, कौशाल्य, तथा भाषा का उपयोजन, उनकी लेखन क्षमता विकास, विचारक्षमता, क्षमता विकास, का मूल्यांकन करना निहायत जरूरी है।

अर्थात यह मूल्यांकन प्रणाली क्या है, मूल्यांकन के तत्व उद्देश्य, तथा उनकी साध्यतावश परीक्षा का नियोजन, प्रशासन इ. बारें में उपर्युक्त पाठ्यघटक छात्र प्रशिक्षणार्थी को जानकारी देता है। साथ साथ छात्रों की भाषिक विकास के बारें में. अनुमान लगाकर अध्यापक को भाषा अध्ययन उपचारात्मक रूप से कैसे करे ? इसके बारें में जानकारी लेने में. यह पाठ्यघटक उपयुक्त है। उदा - के लिए कक्षा ६ वी में विश्लेषण सीखाने के बावजूद भी कक्षा ७ वी में उनका सुयोग्य प्रयोग छात्र परीक्षा में नही कर पाते है, तो उन्हें आवृति रूप से अध्यापन करना होगा।

घटक क्र. १० : हिंदी अध्यापक :-

अ] हिंदी अध्यापक की पात्रता तथा गुणविशेष।

ब] हिंदी अध्यापक का व्यावसायिक विकास।

क] हिंदी शिक्षक संघटना का योगदान।

उपर्युक्त पाठ्य घटक में हिंदी भाषा का अध्ययन करने वाला अध्यापक कैसाहो, उसकी शिक्षा की पात्रता क्या हो, तथा उसके व्यक्तित्व के गुणविशेष कौनसे हो, इसके बारें मे छात्र प्रशिक्षणार्थी को यह पाठ्य घटक जानकारी देता है।

साथ ही अध्यापन एक व्यवसाय माना गया है, तो इस व्यवसाय के विकास होने के हेतु हिंदी अध्यापक को क्या करना चाहिए, कौनसे कौशलों को अर्जित करना चाहिए, इसके बारे में भी उक्त पाठ्यघटक जानकारी देता है।

अध्यापन व्यवसाय विकास होने के हेतु तथा अध्यापक का विकास एवं संरक्षण हेतु शिक्षक संघटनों का योगदान कैसा है, इसके बारे में भी इस घटक में जानकारी मिलती है।

अतः अध्यापक एक व्यावसायिक घटक एवं अध्यापन व्यवसाय समाज में सुचारू रूप से प्रगति की ओर जाने हेतु अध्यापक को कौनसी भूमिका निभानी चाहिए, इसके बारे में उपर्युक्त पाठ्यघटक अती महत्वपूर्ण है।

हिंदी अध्यापन विधि का अध्ययन करनेवाले छात्रशिक्षकों को इस पेपर के लिए एक सैद्धांतिक विषय से संबंधित प्रात्यक्षिक कार्य भी करना पडता है। इसका विवेचन आगे आया है।

२.५.३ प्रात्यक्षिक कार्य का विश्लेषण :-

बी.एड्. को उपाधि संपन्न करने हेतु छात्रशिक्षकों को अलग अलग प्रकार के प्रात्यक्षिक कार्य करने पडते है। प्रस्तुत संशोधन कार्य हिंदी अध्यापन विधि से संबंधित होने के कारण यहाँपर सिर्फ इसी से संबंधित प्रत्यक्ष कार्यों का विश्लेषण आवश्यक है। अतः निम्नांकित परिच्छेदों में इसका विवेचन किया है।

२.५.३.१ सैद्धांतिक विषय से संबंधित प्रात्यक्षिक कार्य :-

हिंदी अध्यापन विधि का अध्ययन करने वाले छात्रशिक्षकों को इस पेपर के विभाग के लिए, सैद्धांतिक विषय से संबंधित एक प्रत्यक्ष कार्य की पूर्ति करना आवश्यक है। उन्हें निम्नांकित पाँच विषय में से किसी एक विषय पर प्रत्यक्ष कार्य करना पडता है। -

१] किसी एक कक्षा के विद्यार्थियों की हिंदी भाषा में होनेवाली गलतियों का अध्ययन।

२] अभ्यासानुवर्ति कार्यक्रमों का शाला में आयोजन।

३] किसी एक भाषिक कौशलपर आधारित घटक की निदानात्मक कसौटी बनाना।

४] किसी भी एक विषयांश पर भित्तिपत्रक बनाना।

५] किसी भी एक घटक का घटक नियोजन तथा उसकी घटक कसौटी बनाना।

उपर्युक्त पाँच प्रात्यक्षिक कार्य के लिए पाठ्यक्रम में निम्न दो उद्देश्यों को निर्धारित किया है -

सैद्धांतिक विषय से संबंधित प्रत्यक्ष कार्य के उद्देश्य : छात्राध्यापक को :-

१] सैद्धांतिक विषय से संबंधित प्रत्यक्ष कार्य की तात्त्विक जानकारी लेने में सहायता करना।

२] प्रत्येक सैद्धांतिक विषय से संबंधित प्रत्यक्ष कार्य संपन्न होने में सहायता करना ।

इन उद्देश्यों को सफलता दिलानें में उपर्युक्त किसी एक घटक का नियोजन करना है, तथा घटक कसौटी बनाना है। इस प्रत्यक्ष कार्य द्वारा छात्रशिक्षक को घटक मूल्यांकन प्रणाली के उद्देश्य, तत्त्व, स्वरूप, संरचना एवं परीक्षा-कार्य पद्धति आदि के बारें में सैद्धांतिक स्वरूप की जानकारी मिलती है।

इसतरह इसमें से एक प्रत्यक्ष कार्य संदर्भ किताबों को पढकर लिया जा सकता है। क्र. १ व ४ प्रत्यक्ष कार्य करने के लिए अध्यापक को स्वयं अध्ययन साहित्य की निर्मिती कैसे की जा सकता है, इसका मार्गदर्शन देना आवश्य है।

इसके सिवाय निम्नांकित प्रत्यक्ष कार्यों की पूर्ति छात्रशिक्षकों को हिंदी अध्यापन विधि से संबंधित करने आवश्यक है। इसकी चर्चा निम्न परिच्छेदों में की है।

२.५.३.अ : सूक्ष्माध्यापन - प्रत्यक्ष कार्य :-

सूक्ष्म अध्यापन प्रात्यक्षिक कार्य की कार्यशाला का आयोजन छात्र-शिक्षकों को अध्यापन कौशलो की उपलब्धता करने हेतु एवं अभ्यास का सुअवसर

देने के लिए मार्गदर्शन देने के पश्चात छात्रशिक्षकों को प्रभुत्व प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसके उद्देश्य निम्नांकित है -

सूक्ष्माध्यापन के उद्देश्य : छात्रशिक्षकको :-

१] महत्वपूर्ण सामान्य अध्यापन कौशलों की क्षमता प्राप्त करने के लिए सहायता करना।

२] विविध अध्यापन कौशलों का एकात्मिकरण करनेमें सहायता करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति होने के लिए अध्यापक महाविद्यालयों में पंद्रह दिनों की आयोजना की जाती है। इसमें शिवाजी विद्यापीठ द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में कुल पाँच कौशलों की आयोजना के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया है। अर्थात निम्नांकित कौशलों में से पाँच कौशलों का अध्यापन एवं अभ्यास कर प्रत्यक्ष कार्य की पूर्ति आवश्यक माना है, साथ ही इसके बाद एक एकात्मिकरण पाठ भी आवश्यक है। यह पाँच कौशल्य निम्नांकित तरह से है -

१] कथन / स्पष्टीकरण।

२] मूलभूत प्रश्न पद्धति / मुक्त प्रश्न / प्रत्याकरण की प्रश्न पद्धति / शोधक प्रश्न पद्धति।

३] शिक्षक प्रतिक्रिया / प्रबलन।

४] चेतक परिवर्तन / कलक उपयोग।

५] सज्जता प्रवर्तन / समारोप।

उपर्युक्त पाँच कौशलों की योजना एवं कार्यनीति कैसे हो, इस बारें में बी.एड्. की पाठ्यक्रम पुस्तिका में मार्गदर्शन तथा सूचनाएँ दी है। एक सूक्ष्म कौशल्य का नियोजन निम्नांकित तरह से होना चाहिए -

१]	कौशल की तात्त्विक जानकारी, उसका नमुना पाठ तथा गुण दोषों की चर्चा के लिए	२ तालिकाएँ
२]	पाठ नियोजन एवं पाठघटक की जानकारी चर्चा के लिए	१ तालिका
३]	पाठ नियोजन	२ -"-
४]	अध्यापन सत्र व चर्चा	४ -"-
५]	पुनर्नियोजन	२ -"-
६]	पुनराध्यापन सत्र व चर्चा	३ -"-
	कुल तालिकाएँ	१४

उपर्युक्त तालिका को देखने से पता चलता है कि, एक कौशल अभ्यास चक्र के लिए कुल १४ तालिकाएँ अर्थात बारह घंटे या २ दिन लगते है। इसतरह पाँचो अध्यापन कौशलों का नियोजन होता है।

इसके बाद एकात्मिक पाठ की आयोजना आवश्यक है। सर्व प्रश्न " एकात्मिक पाठ " अर्थात पाठ्य-घटकों का एकात्मिकरण कैसे करे ? इसके

संबंधित तात्त्विक जानकारी, नमुना पाठ एवं चर्चा पाठ नियोजन व घटक चुनानें के तत्व से संबंधित जानकारी दो तालिकाओं में दी जाती है। यह पाठ १५-२० मिनीट का होता है। इस पाठ के मार्गदर्शन एवं नियोजन के लिए दो घंटो की अवधि देनी चाहिए। कुल मिलाकर " एकात्मिक पाठाभ्यास प्रत्याकरणासहित " दस घंटो का [करीबन १॥ से २ दिन] होना आवश्यक है।

सूक्ष्माध्यापन कार्यशाला में हर अध्यापन विधि के त्रुट में, अध्यापन विधि को चुननेवाले छात्रशिक्षक होते है। त्रुट कार्य पद्धति में कुल मिलाकर १०-१२ छात्रशिक्षक एवं अध्यापक होता है। पाँच छात्रशिक्षकों एक दल विधार्थियों की भूमिका निभाते है। एक टाईमकिपर होता है, जो हर आधे मिनीट की सूचना देता है। दो परीक्षक होते है, जो अध्यापन करनेवाले छात्र-शिक्षक के पाठ का निरिक्षण करते है। इस तरह भूमिकाओं मे बदलाव लाकर हर छात्रशिक्षक को कौशल्य का अध्यापन एवं पुनराध्यापन का अवसर देते हुए एक सूक्ष्म कौशल अभ्यास चक्र संपन्न होता है। इसमें अध्यापक भी हर छात्र-शिक्षक के अध्यापन, पुनराध्यापन का निरिक्षण कर, प्रत्याकरण एवं परि-वर्तन की सूचनाएँ देते है। अपेक्षित पाठ्यघटकों का अवलंब जादा से ज्यादा कैसे करे, इसका मार्गदर्शन भी करते है। इसतरह प्रत्येक छात्रशिक्षक को अध्यापन कौशल पर प्रभुत्व प्राप्त करने हेतु भरसक प्रयत्न किया जात है, तथा उन्हें अवसर एवं अभ्यास भी दिया जाता है।

इसके बाद एकात्मिकरण पाठ की आयोजना कर वर्गाध्यापन के लिए मानसिक रूप से कौशलों पर प्रभुत्व पाकर आत्मविश्वास के साथ तैयार किया जाता है। जिन से छात्रशिक्षकों को वर्गाध्यापन में दिक्कते न आये। आत्म-विश्वास से वर्गाध्यापन के लिए सूक्ष्माध्यापन की निहायत मदद मिलती है, यह सत्य है।

२.५.३.ब : आशययुक्त अध्यापन कार्यशाला :-

आशययुक्त अध्यापन क्षमताओं की उपलब्धता करने हेतु प्रस्तुत कार्यशाला का महत्व अपने जगह पर है। यह कार्यशाला शुरू करने से पहले विशेष अध्यापन पद्धति के सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के घटक क्र. १, २, ३, ४, ५, इ. का अध्यापन संपन्न होना आवश्यक माना गया है। साथ ही चार पाठ संपन्न होना भी जरूरी माना गया है। आशययुक्त अध्यापन कार्यशाला के उद्देश्य निम्नांकित है -

आशययुक्त अध्यापन कार्यशाला के उद्देश्य :- छात्रशिक्षक को :

१] विशेष अध्यापन विधि के पाठ्यक्रम व उसके विश्लेषण से परिचित कराना।

२] पाठ्यक्रमांतर्गत आशय व पाठ्यपुस्तकांतर्गत आशय इनके आपसी संबंध के बारें में जागृत करना।

३] पाठ्यपुस्तकांतर्गत आशय का विश्लेषण करने की पद्धति के संबंध में जागृत करना व आशय विश्लेषण करने के लिए प्रवृत्त करना।

४] कईसंबोधों के वरिष्ठ क्लास/कक्षा में हुई पुनरावृत्ति, उनके आंतर संबंध, उनका तत्व एवं उपपत्ति इस क्रम से सुव्यवस्थित आस्थापना ध्यान में ला देना और उन्हें ढूँढने के लिए प्रवृत्त करना।

५] प्रत्येककक्षा के अलग अध्ययन जरूरतों के विषय से परिचित करना, इसके अनुसार एक संबोध भिन्न कक्षा में सीखाते समय कैसे अलग अलग अध्यापन पद्धति की आवश्यकता होती है, यह जानने के लिए एवं उसपर अंमल करनें में मदद करना।

६] आशय एवं अध्यापन पद्धतियों का सहेतुक आचरण करने के तत्व तथा उसके अनुसार निरिक्षणाक्षम अध्यापन कौशल विकसित करने में सहायता करना।

७] शालेय स्तर पर सीखाये जानेवाले संबोधों का गहराई से आकलन होने में सहायता करना।

८] उपर्युक्त उद्देश्यों को सफल कराने के हिए सुयोग्य कार्यनीति का अनुगमन कैसे हो इसके बारे बी.एड. के पाठ्यक्रम - पुस्तिका में मार्गदर्शन दिया है। कुल मिलाकर हर बिशेष अध्यापन विधि की कार्यशाला की कालावधि दस [१०] दिनों की होना आवश्यक माना गया है। इसकी आयोजना संक्षेप में निम्नांकित परिच्छेदों में दी गई है -

कार्यशाला के " पहले - दिन " कार्यशाला की कार्यनीति आशययुक्त अध्यापन का अर्थ, महत्त्व, आशयविश्लेषण व पाठ नियोजन पर तीन व्याख्यान होते है। "दूसरे दिन" ग्रुप में कार्य होता है। इसमें अध्यापक अपने बिषय की संरचना, क्रम प्रमुख अंग, संबोध, सामान्यीकरण के तत्व, विषय की कक्षानुसार व्यापकता, गहराई, इ. के संबंध में मार्गदर्शन करता है। इसके बाद कक्षा ८ वी से १० वी तक दो कक्षा के विषय से संबोध व सामान्यीकरणों का शोध लेना, उनका सहसंबंध ढूँढने का कार्य चलता है। "तीसरे दिन" अध्यापक

आशय विश्लेषण की चर्चा करता है, तथा छात्रों को कक्षा ८ वी से १० वी के दो कक्षा के [अनुक्रम से] दो घंटकों का आशय विश्लेषण के लिए बाध्य करना है, एवं मार्गदर्शन करना है। " चौथे, पाँचवे, छठे " दिन में अध्यापक एकही संबोध को अलग अलग कक्षा में सीखाने समय अलग अलग अध्यापक पद्धति की आयोजना कैसे होती है, इसका स्पष्टीकरण एवं मार्गदर्शन देता है। तथा पाठ नियोजन के लिए २ संबोधों की ३ विभिन्न पाठ -टीपण्णी लेखन में मदद करता है। " सातवे, आठवे और नौवे दिनों में छात्रशिक्षक पाठटिपण्णीती के आधारपर तीन पाठ अपने ब्रुट में लेता है। १० छात्रशिक्षके के ३० पाठ, हर पाठ २५-३५ मिनटों को होना चाहिए। अध्यापक को पाठनिरीक्षण करना है, उसपर प्रत्याकरण भी देना है। पाठ के अनुसार छात्रशिक्षक को शैक्षणिक साहित्य भी तैयार कना पडता है। " दसवे दिन " छात्रशिक्षक के आशय ज्ञान की तथा आशय युक्त अध्यापन पद्धति विषय के आकलन की एक टेस्ट होती है, जिसमें प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकारके होते है, एवं एक निबंधात्मक, एक लघुत्तरी स्वरूपका प्रश्न भी होता है। छात्रशिक्षक को इसका अहवाल लेखन करना होता है।

२.५.३.क : मूल्यमापनाधारित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

छात्रशिक्षकों को हिंदी भाषाध्यापक की जिम्मेदारियाँ निभाते समय में से माध्यमिक पाठशाला में नियोजन कर्ता मूल्यमापन करने को जिम्मेदारि महत्वपूर्ण रूप की मानी गयी है। एक नियोजन कर्ता एवं मूल्यमापनकर्ता के कौशालों को आत्मसात करने में प्रस्तुत कार्यक्रम निश्चित रूप से उपयुक्त है। इसके उद्देश्य निम्नांकित प्रकार से है। -

मूल्यमापनाधारित प्रशिक्षण कार्यशाला के उद्देश्य :- छात्रध्यापक को

१] वार्षिक नियोजन, घटक नियोजन व पाठनियोजन तथा विषयाध्यापन नियोजन के संबंध में जानकारी लेने में मदद करना।

२] एक विषय का वार्षिक नियोजन करने में मदद करना।

३] एक घटक का घटक नियोजन करने में मदद करना।

४] एक घटक की घटक याचणी तैयार करने में मदद करना।

५] एक घटक की निदानात्मक कसौटी तैयार करने में मदद करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को सफल करने में इसकी कार्यनीति के बारे में विद्यापीठ द्वारा पारित बी.एड. पाठ्यक्रम की पुस्तिका में मार्गदर्शन दिया है। उसके आधारपर इस कार्यशाला की कार्यनीति निम्नांकित परिच्छेदों मे दी है -

इस में अध्यापक छात्रशिक्षकों को वार्षिक नियोजन, घटक नियोजन, एवं घटक कसौटी के संबंध पर विषय अध्यापन तासिका के दौरान ही २ - ३ व्याख्यान देने चाहिए। इसके पहले ही शर्तें पेपर क्र. ३ और पेपर क्र. ५ में समावेशित मूल्यमापन संकल्पना, उद्देश्य, स्पष्टीकरण, अध्ययनानुभव मूल्य - मापन साधन इ. विषय की जानकारी छात्रों को मिली हो। अहवाल के नमुने छात्रशिक्षक को दिखा दिया जाये एवं अपने उपलब्ध समय के अनुसार छात्रद्वारा अहवाल लेखन की पूर्ति की जाये।

निदानात्मक कसौटी तैयार करनेवाले छात्रशिक्षकों को शालेय अनुभव कार्यक्रम दौरान ही घटक की सर्वेक्षण कसौटी कैसे दी जाये, इसके आधार पर गलतियाँ ढूँढना, उनका सोपविचार कर निदानात्मक कसौटी के प्रश्न तैयार करना, आदि के बारे में मार्गदर्शन अध्यापक करता है। तथा यह कसौटी की आयोजना शालेय अनुभव कार्यक्रम में की जाये।

२.५.३.ड : सराव पाठ प्रशिक्षण व शालेय अनुभव कार्यक्रम :-

अध्यापक की क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए तथा अभ्यास का अवसर देने में प्रस्तुत कार्यक्रम निश्चित रूप से आवश्यक है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नांकित है -

उद्देश्य : छात्राध्यापक को -

१] कक्षाध्यापन कार्य के लिए आवश्यक अध्यापन पद्धति, तंत्र आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने में मदद करना।

२] पाठ नियोजन तत्वानुसार विविध पाठों का नियोजन करने में मदद करना।

३] अध्यापन के लिए अभ्यास देकर अध्यापन पद्धतियों को प्राप्त करने में मदद करना।

४] वास्तव परिस्थिति में अध्यापन कार्यका अवसर देकर उसकी परिणाम-कारकता आजमाने में मदद करना।

५] पाठशालेय में आवश्यक पूरक कार्य का अनुभव देना।

६] पाठशालेय विविध परिस्थिति में आनेवाली अडचने, समस्या एवं उन्हे सुलझाने के मार्ग आदि के बारे में ज्ञान अर्जित करने में मदद करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को साध्य करने हेतु बी.एड. के पाठ्यक्रम पुस्तिका में मार्गदर्शन दिया है। उसीके आधार पर उक्त कार्यक्रम की कार्यनीति संक्षेप में निम्न परिच्छेदों मे दी है।

प्रस्तुत कार्यक्रम आयोजन में निम्न चार बातों का समावेश किया है –

अ] प्राध्यापिक के लिए तात्त्विक प्रशिक्षण।

ब] अलग अलग अभ्यास [सराव] पाठ कार्यक्रम

क] क्रमानुबद्ध [सलग] अभ्यास पाठ।

ड] शालेय अनुभव कार्यक्रम।

प्रस्तुत कार्यक्रम सूक्ष्माध्यापन के बाद दो हप्ते [दिन के ३ घंटे] में आयोजित किया जाये। इस कालावधि में सब से पहले अध्यापन के तत्व, सूत्र आदान-प्रदान क्रिया, अध्यापन की सर्वसामान्य पद्धति, [कथन, उद्गामी, अवगामी, प्रश्नोत्तर, चर्चा, इ.] तथा अध्यापन तंत्र, मंत्र, उद्देश्य : एवं स्पष्टीकरण, अध्ययन अनुभव, शिक्षा साधन प्रश्न के विविध प्रकार, आशय विश्लेषण, पाठ नियोजन, पाठ प्रकार , टिप्पणीयाँ, पाठ निरीक्षण आदि से संबंधित व्याख्यान होते है। इसके बाद नमुना पाठ की आयोजना होती है, एवं चर्चा होती है। नमुना पाठ को काच पेटी में लगाकर छात्रशिक्षकों को नकल करने कहा जाता है। इसके बाद छात्रशिक्षकों को वैयक्तिक पाठ नियोजन लेखन के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है।

अलग अलग अभ्यास पाठ कार्यक्रम में एक अध्यापन पद्धति के छः [६] पाठ लेने होते है। बाकी दो [२] पाठ आशययुक्त अध्यापन कार्यशाला के बाद लने होते है। छः पाठ अलग अलग पाठशालामें अलग अलग मार्गदर्शकों [शिक्षक] की सहायता से पूर्ण करने होते है। जिस शिक्षक ने मार्गदर्शन किया हो, वहीं उस पाठ का निरीक्षण करे, यही जरूरी होता है। पाठ की पक्की टिप्पणी [लेखन] हो, निरीक्षण वस्तुनिष्ठ होना जरूरी है। पाठ का मूल्यमापन श्रेणीद्वारा हो, सूचनाएँ वर्णनात्मक न होकर उद्भारात्मक हो, मूल्यमापन पदनिश्चयन श्रेणी एवं सूचनाएँ आपस में मेल खाती हो। छात्राध्यापक को पाठ के बाद प्रत्याभरण देना आवश्यक है।

२.६ : पाठ्यक्रम का मूल्यांकन :-

प्रस्तुत प्रकरण में हिंदी अध्यापन विधि का बी.एड. के पाठ्यक्रम में गुणानुसार, समयानुसार स्थान व भारांकन के बारें में जानकारी ली है। पाठ्य-क्रम के सैद्धांतिक भाग एवं हिंदी अध्यापन से संबंधित प्रत्यक्ष कार्य की कार्यशालाएँ उनकी कार्यनीति पाठ्यक्रम पुस्तिका में कैसे निर्धारित व मार्गदर्शित की है, इसके बारें में जानकारी प्राप्त की।

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य के संबंधमें तथा अपने अध्यापक महाविद्यालय में हिंदी अध्यापन विधि की अध्यापक होने के नाते कार्य करते वक्त जो भी अनुभव आये उन्हीं के आधार पर प्रचलित पाठ्यक्रम का मूल्यांकन अनुसंधानकर्ति ने किया है। जो निम्न परिच्छेदों में दिया है।

२.६.१ : सैद्धांतिक विभाग का मूल्यांकन :-

हिंदी अध्यापन विधि के अंतर्गत कुल दस पाठ्यघटक है। [देखिये परिशिष्ट - ड] इन पाठ्यघटकों द्वारा पाठ्यक्रम के निर्धारित उद्देश्य सफल होते है। किन्तु इनकी मात्रा सर्वसाधारण स्वरुप की है। इसके कई कारण है। जैसे कि, अध्यापन के लिए तासिकाएँ कम है अर्थात समय कम है। छात्र-शिक्षकों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन सिर्फ ५० अंक की प्राप्ती के लिए करना पडता है। अत: पारंपारिक " स्पून फिडिंग " प्रकार का अध्यापन ही होता है। कई घटक करीबन ५० % प्रतिशत से भी ज्यादा घटक प्रात्यक्षिक कार्या-भिमुख है। अत: समय कम होने से इनका अध्यापन कार्यशाला के आरंभ में कोई एक अध्यापक समये बी.एड. छात्रशिक्षकों के क्लास में करता है। अदा- घटक नियोजन व पाठ नियोजन। इसी को ध्यान में रखते हुए अध्यापन विधि के अध्यापक उसका अध्यापन करते नहीं। सिर्फ त्रुटकार्य में मार्गदर्शन देते है।

इससे सैद्धांतिक पाठ्यघटकों का अध्ययन उचित रुप से नही हो पाता न उद्देश्य ज्यादा मात्रा में सफल हो पाते है। इसके लिए अध्यापक को अध्ययन पद्धतियों में बदलाव लाने चाहिए।

प्रस्तुत पाठ्यक्रम का अध्ययन कर छात्रशिक्षक " हिंदी भाषा " का अध्यापक बनकर अध्यापन क्षेत्र में प्रवेश करते है। अतएव अंको की तुलना में हिंदी अध्यापन विधि का स्थान बहुत ही कम भारांकन वाला व कम महत्वपूर्ण है। अत: इसका महत्व देखते हुए इसे सौ अंको का विशेष स्थान मिलना चाहिए।

सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के ऐसे कई घटक है, जिनपर प्रत्यक्ष कार्य की आयोजना होनी चाहिए। उदा- अध्यापन साधन, घटक क्र. आठ आदि इनपर प्रात्यक्षिक कार्य भी होने चाहिए, जिससे विषयज्ञान व शैक्षिक साधनों का उपयोजन होने से परिपूर्ण अध्यापक बनने में ज्ञानात्मक, कौशल्यात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक अनुभव मिलेंगे।

२.६.२ : प्रात्यक्षिक कार्य विभाग का मूल्यांकन :-

प्रचलित प्रत्यक्ष कार्यों की आवश्यकता तो निहायत है, ही, किन्तु हिंदी भाषा का अध्यापक होने के नाते अन्य और प्रत्यक्ष कार्य का समावेश भी होना चाहिए। उदा - अध्यापन के साधन हिंदी भाषा के विविध अंगो का सिर्फ सैद्धांतिक अध्यापन न होकर उनपर प्रत्यक्ष कार्य की आयोजना होनी चाहिए। उदा. लेखनक्षमता, वठनक्षमता, छात्रों की विकसित करने के लिए, क्षमताएँ निर्धारित करना एवं उसको संपन्न करते के लिए कार्यक्रम [उपक्रम] बनाना आदि का प्रत्यक्ष कार्य भी होना आवश्यक है। इसका अभाव प्रस्तुत पाठ्यक्रम में है।

छात्रों को आदर्श भारतीय नागरिक बनाने हेतु राष्ट्रभाषा का महत्व राष्ट्रीय व व्यक्तिगत जिम्मेदारियाँ, सामाजिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय ऐक्य भावना विकसित करने की जिम्मेदारियाँ को समझने में व संपन्न करने में तथा उन्हें छात्रों में भी संक्रमित करने के लिए भावात्मक अनुभव देने की उपलब्धता कराने वाले प्रत्यक्ष कार्य कम है। जो छात्रशिक्षकों से प्रत्यक्ष पाठशाला में ही संपन्न किये जा सकते है।

प्रत्येक प्रत्यक्ष कार्य की कार्यनीति भी समय के कमी के कारण उचित रूप से नहीं हो सकती। इसके प्रत्यक्ष कार्य के न उद्देश्यों को अंजाम मिलता है, न उसकी परिणामकारकता छात्रशिक्षक संपन्न करते है, और करते है तो कम मात्रा में।

अत: बी.एड. का प्रशिक्षण कालावधि बढाकर दोवर्ष का करना निहायत जरूरी हो गया है।

२.७ : समारोप :-

प्रस्तुत प्रकरण में पाठ्यक्रम की संकल्पना एवं अर्थ शिवाजी विश्व - विद्यालयांतर्गत बी.एड. का पाठ्यक्रम, हिंदी अध्यापन विधि का पाठ्यक्रम में स्थान कैसा है, पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक भाषा एवं प्रात्यक्षिक कार्य तथा उसकी कार्यनीति आदि के संबंध में सूत्रबद्ध विवेचन किया गया है।

इसी हिंदी अध्यापन विधि पाठ्यक्रम की उपयुक्तता, उद्देश्यों की सफलता, कुशल अध्यापक बनने में पाठ्यक्रम का योगदान कैसा है, इसके बारे में जाँच पडताल करने के लिए अनुसंधान की प्रक्रिया क्या थी, सामग्री संपादन करने के साधन क्या थे, इस संबंध में प्रकरण तीन में विवेचन किया गया है।